

(ix) Increase in wages and salaries due to implementation of Engineering Award, Third Pay Commission Award and Bipartite Agreement with Crews' Union.

(x) Idleness at certain shops due to non-receipt of fresh orders, e.g. New Alipore Hull Shop, Smithy Shop, etc.

(xi) Incidence of bonus as per Bonus Act

कुतुब एक्सप्रेस को जेतवाड़ा स्टेशन पर रोका जाना

10393. श्री लखेन्द्र सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ममद सदस्य, व्यापारी और स्थानीय लोग मध्य रेलवे में मतना और मालिकपुर के बीच जेतवाड़ा स्टेशन पर कुतुब एक्सप्रेस रोकने की व्यवस्था करने को मांग कर रहे हैं ;

(ख) यदि हा, तो मजालय के निर्णय के बावजूद वहां पर कुतुब एक्सप्रेस न रोके जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या रेलवे को जेतवाड़ा स्टेशन पर मेहर स्टेशन की अपेक्षा अधिक आय हानी है जहां पर कुतुब एक्सप्रेस रकती है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) :
(क) जी हा ।

(ख) कुतुब-ममदा एक्सप्रेस को जेतवार स्टेशन पर ठहराने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई विनिश्चय नहीं किया गया है । कुतुब-ममदा एक्सप्रेस की जेतवार में ठहराने के लिए यातायात की दृष्टि से कोई शीघ्रित्य नहीं है ।

(ग) यात्रियों से होने वाली आमदनी जेतवार की अपेक्षा मेहर स्टेशन पर अधिक है ।

संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषा के रूप में हिन्दी

10394. श्री बलराम सिंह परस्ने : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे सन्धिकारियों के पदनाम क्या हैं जो हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषा बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के सत्रियों के साथ परामर्श कर रहे हैं ;

(ख) ये परामर्श कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ; और

(ग) संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा के रूप में हिन्दी को लागू करने के लिए सही प्रक्रिया क्या है और विचार करने के बाद इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में कितना समय लगेगा ?

विदेश मंत्री (श्री प्रदल बिहारी बाजपेयी) :

(क) से (ग) . हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र की एक प्राधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दिलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के स्वीकारात्मक निर्णय की आवश्यकता होगी । हिन्दी को इस प्रकार की मान्यता दिलाने के सम्बन्ध में सकल्प तभी पेश किया जा सकता है जबकि इसके ग्राम सहमति से पारित हो जाने या इसे बहुमत प्राप्त हो जाने की काफी शक्यता संभावना हो । किसी विशिष्ट काम पर किस अधिकारी को लगाया गया और उमका पदनाम क्या है, यह बताने की प्रथा भारत सरकार में आमतौर से नहीं है ।

मोटा इलेक्ट्रोस्टील लिमिटेड, बिबानी द्वारा भ्रष्टाचार की गई भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा योजना की छत्रावधि

10395. श्री बयाराम शास्त्र : क्या संसदीय कार्य तथा भ्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मिसर्स मोटा इलेक्ट्रोस्टील लिमिटेड, बिबानी (हरियाणा) द्वारा भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत भ्रष्टाचार-भ्रष्टाचार कितनी धन राशि जमा कराई गई और कितनी अभी बकाया है ?

भ्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री० राम कृपाल सिंह) : कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों में सूचित किया है कि मिसर्स मोटा इलेक्ट्रोस्टील लिमिटेड, बिबानी, हरियाणा नामक कोई प्रतिष्ठान नहीं है । तथापि, मिसर्स मोहटा इलेक्ट्रोस्टील लिमिटेड, बिबानी, हरियाणा नामक एक प्रतिष्ठान है, जिसने 31 मार्च, 1979 तक भविष्य निधि अंशदानों के रूप में 1,13,025.00 रुपये की कुल राशि का भुगतान किया है । उपर्युक्त प्रतिष्ठान की ओर उक्त तारीख तक भविष्य निधि की कोई राशि बकाया नहीं थी ।

कर्मचारी राज्य बीमा प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि कारखाना (मिसर्स मोहटा इलेक्ट्रोस्टील लिमिटेड) ऐसे क्षेत्र में स्थित है, जहाँ कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के लागूकारी उपबन्धों को लागू नहीं किया गया है । इस कारखाने को गलती से पहली सितम्बर, 1975 से अधिनियम के अधीन समाप्त गया, परन्तु तबन्तर 28 फरवरी, 1976 से इसे अधिनियम की परिधि से निकाल दिया गया । अधिनियम की परिधि में रहने की अवधि के दौरान, 13,217.65 रुपये की धन-राशि का अंशदानों के रूप में भुगतान किया गया ।